

श्री ७२१७ एच
१५.१०.२५ आवाज दिलवाई गई कोई भी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनके विरुद्ध (अपराध)
अपराधी सिपाही श्री प्रतापसिं वारसे अहम
प्र.पत्र ०१२१ एच दिनांक १५.१०.२५ को पेश

हो।
उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

१५.१०.२५ प्रतापसिं पेश हुई वकील प्रार्थी
उपस्थित / प्र.पत्र ०१२१ एच पर वकील प्रार्थी
की अहम सुनी गई। प्रतापसिं वारसे आदेश क्रमांक
०१२१ एच दिनांक ३१-१०-२५ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

३१.१०.२५ प्रतापसिं पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थिका द्वारा प्रस्तुत प्र.पत्र वाजपयरी अन्तर्गत
अहम ०१२१ एच वापस प्रतापसिं दावा पु. नम्बर
१५/२। इनका हरिराम काँठ अनाम मिश्रीलाल काँठ
को पुनः अहम फलने का अवलोकन किया।
अहम का मनन किया। प्रार्थिका का प्र.पत्र

यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

..... हरि राम बनाम मिश्रीलाल

मु.नं.- 06/24

किस्म - श्री.पती 05 कि फ

वाजदारी अन्तर्गत आदेश व नियम व जा.दी.
स्वीकार किया जाता है एवं फगावली मूलकाद
दावा कु.नं. 14/21 उनपस हरिराम को बनाम
मिश्रीलाल को के पुनः लम्बर पर लिये जाने
के आदेश दिये जाते हैं। फगावली कुल
शुमार होकर हाकिल फकार है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)